भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3530

उत्तर देने की तारीख 10.08.2026

केएसवीवाई के तहत सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक कलाकारों का संरक्षण

3530. श्री दर्शन सिंह चौधरी :

श्री थरानिवेंथन एम. एस. :

श्री भारत सिंह कुशवाह :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विगत पांच वर्षों के दौरान देश भर में पारंपरिक कला रूपों, लोक संस्कृति, प्रदर्शन कलाओं और सांस्कृतिक कार्यकलापों को बढ़ावा देने में कला संस्कृति विकास योजना के प्रभाव और प्रगति का कोई मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो विशेषकर तमिलनाडु के अरानी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को उक्त योजना के अंतर्गत अनुमोदन, अनुदान जारी करने या प्रक्रियात्मक कठिनाइयों में विलंब के संबंध में सांस्कृतिक संगठनों और कलाकारों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा विशेषकर ग्रामीण, जनजातीय और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के युवा और उभरते कलाकारों के लिए व्यापक पहुंच, पारदर्शिता, समय पर वित्तीय सहायता, कलाकारों और सांस्कृतिक संस्थानों की अधिक भागीदारी, सांस्कृतिक अवसंरचना के विकास और सांस्कृतिक पर्यटन के साथ जुड़ाव सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्ष 2026-27 और आगामी वर्षों के लिए निर्धारित लक्ष्यों, प्रस्तावित नई पहलों और राज्यों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय और तकनीकी सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का मध्य प्रदेश, विशेषकर ग्वालियर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में समृद्ध सांस्कृतिक और संगीत परंपराओं का संरक्षण और संवर्धन करने, स्थानीय कलाकारों और सांस्कृतिक संस्थानों को उक्त योजना से जोड़ने और सांस्कृतिक कार्यकलापों का विस्तार करने के लिए कोई विशेष योजना/स्कीम लागू करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री

(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): जी, हाँ। संस्कृति मंत्रालय तमिलनाडु राज्य सहित देश भर में कला संस्कृति विकास योजना (केएसवीवाई) के प्रभाव, प्रगति और सांस्कृतिक पहुंच का मूल्यांकन करने के लिए प्रत्येक वित्त आयोग चक्र से पहले इस योजना का तृतीय पक्ष मूल्यांकन कराता है। पिछले पांच वर्षों के दौरान केएसवीवाई के विभिन्न घटकों के अंतर्गत सहायता प्राप्त संगठनों और लोक एवं पारंपरिक कलाकारों सहित व्यक्तिगत कलाकारों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक** पर दिया गया है। तथापि, मंत्रालय द्वारा डेटा का निर्वाचन क्षेत्र-वार रखरखाव नहीं किया जाता है।

(ख): स्कीमों के कार्यान्वयन के संबंध में सांस्कृतिक संगठनों और कलाकारों से प्राप्त अनुरोधों की शीघ्रता से जांच की जाती है और योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय और समयबद्ध रूप से उचित सुधारात्मक और प्रोत्साहक उपाय किए जाते हैं।

(ग) और (घ): संस्कृति मंत्रालय ग्रामीण, जनजातीय और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों सहित कलाकारों और सांस्कृतिक संगठनों को अपनी स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्रदान करने, व्यापक पहुंच, पारदर्शिता और समय पर वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने के लिए लगातार कदम उठा रहा है और पारंपरिक कला रूपों के संवर्धन और सांस्कृतिक अवसंरचना के विकास के लिए सहायता प्रदान करता है इसके लिए, स्कीम के दिशानिर्देश और आवेदन पत्र मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं और समाचार पत्रों, मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों तथा संबंधित नोडल एजेंसियों के साथ-साथ क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों (जेडसीसी) और अकादमियों के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाता है। इसके अलावा, पात्र कलाकारों और सांस्कृतिक संस्थानों की अधिक से अधिक भागीदारी को सुगम बनाने के लिए योजना के दिशानिर्देशों और पात्रता मानदंडों को भी सरल बनाया गया है।

(ड.) और (च): वर्तमान में, विशिष्ट रूप से मध्य प्रदेश या ग्वालियर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए अलग से कोई विशेष स्कीम या कार्यक्रम विचाराधीन नहीं है। तथापि, ग्वालियर सहित मध्य प्रदेश के पात्र कलाकार, सांस्कृतिक संगठन और संस्थाएं संस्कृति मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत लाभान्वित होने के पात्र हैं, बशर्ते कि वे संबंधित स्कीम के दिशानिर्देशों के प्रावधानों और निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों।

अनुलग्नक

'केएसवीवाई के तहत सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक कलाकारों का संरक्षण' के संबंध में दिनांक 10.08.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3530 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

गुरु-शिष्य परंपरा को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता (रेपर्टरी अनुदान)

(राशि: लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021-2022		2022-2023		2023-2024		2024-2025		2025-2026	
		संगठनों की संख्या	राशि	संगठनों की संख्या	राशि	अधिकृत संगठनों की संख्या	राशि	अधिकृत संगठनों की संख्या	राशि	अधिकृत संगठनों की संख्या	राशि
1	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.22
2	आंध्र प्रदेश	2	5.52	6	16.42	16	40.38	12	35.07	14	76.88
3	असम	24	227.1	37	214.54	54	277.54	23	263.25	80	531.46
4	बिहार	30	190.8	64	363.82	158	697.37	50	347.56	157	1080.99
5	चंडीगढ़	1	14.16	5	49.2	10	69.96	7	91.65	10	49.3
6	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	9	33.52	2	13.12	9	74.52
7	दिल्ली	63	535.16	98	793.36	161	1065.18	87	823.77	169	1409.66
8	गुजरात	5	29.16	4	27.84	13	71.42	11	48.28	13	64.22
9	हरियाणा	4	30.84	24	93.06	23	124.2	15	138.16	21	105.7
10	हिमाचल प्रदेश	4	48.06	4	51.12	5	55.28	6	90.95	11	96.8
11	जम्मू और कश्मीर	7	51.48	15	120.84	37	118.2	27	215.66	54	399.46
12	झारखंड	2	21.54	13	69.18	18	100.64	13	47.65	24	181.4
13	कर्नाटक	60	470.04	113	807.4	201	1009.94	96	738.67	288	2002.51
14	केरल	9	81.12	37	264.44	38	318.06	19	169.71	43	350.26
15	मध्य प्रदेश	34	236.58	73	525.48	106	687.19	69	654.78	175	1315.85
16	महाराष्ट्र	33	237.36	41	307.66	97	639.72	59	333.05	88	713.4
17	मणिपुर	96	669.78	147	900.72	173	973.68	119	816.68	318	2206.77
18	मिजोरम	0	0	4	26.64	2	10.9	2	10.88	6	28.8
19	नागालैंड	1	5.52	2	8.88	1	6.96	4	12.93	4	13.9
20	ओडिशा	27	152.16	55	289.2	115	515.29	67	343.87	215	1137.14
21	पुदुचेरी	0	0	5	50.04	3	32.52	5	65.76	3	47.14
22	पंजाब	5	37.44	6	43.56	10	66.68	8	56.06	17	133.3
23	राजस्थान	9	57.12	17	95.2	32	123.52	16	140.66	47	314.06
24	सिक्किम	0	0	1	2.64	3	7.02	0	0	2	9.6
25	तमिलनाडु	4	17.28	19	108.6	22	143.02	14	90.15	24	191.72
26	तेलंगाना	9	82.56	17	153.02	19	109.52	17	131.72	33	312.96
27	त्रिपुरा	1	7.68	1	6.24	14	57.12	3	14.46	17	101.46
28	उत्तराखंड	5	23.04	16	80.86	17	65.96	12	76.03	25	202.34
29	उत्तर प्रदेश	26	195.32	57	293.97	107	438.32	70	502.02	130	867.91
30	पश्चिम बंगाल	112	821.76	333	2060.8	418	2288.48	208	1432.21	519	3592.78
कुल		**573**	**4248.58**	**1214**	**7824.73**	**1882**	**10147.6**	**1041**	**7704.76**	**2517**	**17612.5**

* व्यय विभाग द्वारा केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमों के तहत निधियों के प्रवाह की संशोधित प्रक्रिया और केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) मॉड्यूल के कार्यान्वयन के संबंध में जारी निर्देशों के अनुसरण में, इस स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता चयनित अनुदानग्राही संगठनों को भुगतान के केंद्रीय नोडल एजेंसी मॉड्यूल के माध्यम से जारी की गई थी।

आर.के. मिशन सहित राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

(राशि: लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021-2022		2022-2023		2023-2024		2024-2025		2025-2026	
		संगठनों की संख्या	राशि	संगठनों की संख्या	राशि	अधिकृत संगठनों की संख्या	राशि	अधिकृत संगठनों की संख्या	राशि	अधिकृत संगठनों की संख्या	राशि
1	आंध्र प्रदेश	0	0.00	1	22.50	1	7.50	0	0.00	0	0.000
2	असम	0	0.00	0	0.00	1	22.50	2	22.50	2	20.000
3	बिहार	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	7.500
4	चंडीगढ़	0	0.00	0	0.00	1	15.00	1	22.50	3	35.000
5	दिल्ली	1	5.99	7	241.25	11	276.25	8	103.75	13	167.290
6	हरियाणा	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	26.25	3	38.750
7	झारखंड	-	-	-	-	-	-	1	15.00	-	-
8	कर्नाटक	0	0.00	1	22.50	0	0.00	1	4.73	3	41.250
9	केरल	0	0.00	0	0.00	1	18.75	2	32.50	4	68.750
10	महाराष्ट्र	0	0.00	0	0.00	1	15.00	1	18.75	4	61.250
11	मध्य प्रदेश	0	0.00	1	0.59	0	0.00	0	0.00		
12	मणिपुर	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	11.25	3	33.750
13	ओडिशा	0	0.00	0	0.00	1	8.75	2	37.50	3	45.000
14	पुदुचेरी	0	0.00	1	3.75	0	0.00	0	0.00		
15	राजस्थान	1	5.00	1	37.50	1	26.25	2	27.50	1	8.750
16	तमिलनाडु							1	15.00		
17	तेलंगाना	0	0.00	0	0.00	2	41.25	0	0.00	4	40.000
18	उत्तर प्रदेश	1	12.50	2	93.75	1	22.50	1	7.50	1	18.750
19	पश्चिम बंगाल (एनपी)	2	6.75	0	0.00	2	37.50	3	31.25	3	45.000
20	आरके मिशन	1	728.00	1	738.56	1	766.50	1	807.00	0	0.000
कुल		**6**	**758.24**	**15**	**1160.4**	**24**	**1257.75**	**28**	**1182.98**	**48**	**631.040**

सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान

(राशि: लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021-2022		2022-2023		2023-2024		2024-2025		2025-2026	
		संगठनों की संख्या	राशि	संगठनों की संख्या	राशि	अधिकृत संगठनों की संख्या	राशि	अधिकृत संगठनों की संख्या	राशि	अधिकृत संगठनों की संख्या	राशि
1	आंध्र प्रदेश	54	66.67	65	62.85	83	80.7	49	75.79	15	31.07
2	अरुणाचल प्रदेश	1	2.25	0	0	0	0	0	0	1	2.25
3	असम	25	34.66	48	96.21	68	114.11	27	36.59	47	98.13
4	बिहार	67	95.26	123	203.2	126	161	73	122.21	158	312.11
5	चंडीगढ़	4	8.25	1	0.5	3	21.69	1	10	1	1.01
6	छत्तीसगढ़	6	13.03	3	5.5	4	7.5	3	6.42	10	20.31
7	दिल्ली	119	263.42	167	408.06	204	370.03	106	262.97	128	320.89
8	गोवा	2	3.75	1	0.625	1	1.5	2	2.12	3	6.75
9	गुजरात	11	19.12	17	23.4	16	12.34	3	3.59	10	19
10	हरियाणा	24	42.43	28	62.59	36	74.72	29	89.98	21	69.11
11	हिमाचल प्रदेश	14	21.91	8	11	15	25.75	11	12.92	21	38.97
12	जम्मू और कश्मीर	41	43.63	52	50.33	49	33.76	30	36.37	71	103.74
13	झारखंड	6	11.37	11	14.26	7	8	10	12.75	15	21.92
14	कर्नाटक	203	284.6	218	349.42	221	208.22	235	494.09	196	400.77
15	केरल	28	57.52	30	48.38	30	40.27	21	65.13	34	120.99
16	मध्य प्रदेश	94	200.42	141	264.9	161	155.17	100	202.89	196	414.86
17	महाराष्ट्र	27	63.63	56	104.12	34	29.64	44	97.31	49	106.76
18	मणिपुर	93	115.04	162	196.17	237	249.25	140	164.8	161	249.78
19	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	मिजोरम	2	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0
21	नागालैंड	2	2.25	5	4.62	4	1.35	2	1	0	0
22	ओडिशा	149	182.99	180	296.88	168	269.71	179	482.92	129	259.99
23	पुदुचेरी	1	3	0	0	0	0	0	0	4	11
24	पंजाब	13	22.21	12	23.27	11	22.65	9	22	10	32.87
25	राजस्थान	33	63.81	**48**	**81.16**	**57**	**46.28**	40	61.59	65	139.32
26	सिक्किम	0	0	0	0	1	3.75	3	7	2	6.75
27	तमिलनाडु	21	34.84	15	18.87	11	10.73	16	35.35	15	52.27
28	तेलंगाना	9	13.87	16	16.87	16	9.61	25	51.18	13	30.46
29	त्रिपुरा	5	5.75	16	16.15	23	24.94	10	7.87	15	28.08
30	उत्तराखंड	16	14.78	24	28.11	31	21.91	22	30	37	54.26
31	उत्तर प्रदेश	235	274.55	278	343.33	268	244.07	218	395.66	307	566.95
32	पश्चिम बंगाल	310	364.14	410	544.44	357	206.86	302	435.65	339	614.44
कुल		**1615**	**2330.35**	**2135**	**3275.21**	**2242**	**2455.51**	**1710**	**3226.11**	**2073**	**4134.81**

* व्यय विभाग द्वारा केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमों के तहत निधियों के प्रवाह की संशोधित प्रक्रिया और केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) मॉड्यूल के कार्यान्वयन के संबंध में जारी निर्देशों के अनुसरण में, इस स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता जारी की गई थी।

विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों को छात्रवृत्ति प्रदान करना (एसवाईए)

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021-22		2022-23		2023-24		2024-25		2025-26	
		विद्वानों की संख्या	राशि	विद्वानों की संख्या	राशि	विद्वानों की संख्या	राशि	विद्वानों की संख्या	राशि	विद्वानों की संख्या	राशि
1.	अंडमान और निकोबार	-	-	-	-	03	0.90	-	-	01	0.30
2.	आंध्र प्रदेश	20	6.00	03	0.90	09	2.70	06	1.80	12	3.60
3.	अरुणाचल प्रदेश	08	2.40	01	0.30	05	1.50	03	0.90	05	1.50
4.	असम	56	16.80	28	8.40	89	26.70	58	17.40	79	23.70
5.	बिहार	43	12.90	16	4.80	63	18.90	43	12.90	67	20.40
6.	चंडीगढ़	03	0.90	03	0.90	09	2.70	07	2.10	09	2.70
7.	छत्तीसगढ़	35	10.50	10	3.00	50	15.00	38	11.70	58	17.70
8.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	72	24.00	21	6.30	73	21.90	53	16.20	91	27.60
9.	गोवा	04	1.20	02	0.60	06	1.80	04	1.20	02	0.60
10.	गुजरात	26	7.80	05	1.50	23	6.90	19	5.70	30	9.30
11.	हरियाणा	22	6.60	05	1.50	25	7.50	18	5.40	32	9.60
12.	हिमाचल प्रदेश	04	1.20	-	-	04	1.20	03	0.90	07	2.10
13.	संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर	16	4.80	01	0.30	09	2.70	08	2.40	18	5.40
14.	झारखंड	17	5.10	08	2.40	24	7.20	17	5.10	27	8.70
15.	कर्नाटक	80	24.00	30	9.00	97	29.10	63	18.90	91	27.60
16.	केरल	74	22.20	20	6.00	71	21.30	48	14.40	83	25.20
17.	मध्य प्रदेश	128	38.40	27	8.10	131	39.30	104	31.80	178	53.70
18.	महाराष्ट्र	132	39.60	40	12.00	127	38.10	81	24.30	138	42.00
19.	मणिपुर	30	9.00	08	2.40	39	11.70	29	8.70	52	15.60
20.	मिजोरम	01	0.30	-	-	-	-	-	-	0	0
21.	ओडिशा	75	22.50	25	7.50	97	29.10	71	21.60	141	42.90
22.	पुदुचेरी	02	0.60	-	-	-	-	-	-	01	0.30
23.	पंजाब	14	4.20	04	1.20	11	3.30	05	1.50	07	2.10
24.	राजस्थान	21	6.30	10	3.00	37	11.10	25	7.50	34	10.50
25.	सिक्किम	02	0.60	01	0.30	03	0.90	02	0.60	02	0.60
26.	तमिलनाडु	37	11.10	18	5.40	51	15.30	32	9.90	42	12.60
27.	तेलंगाना	12	3.60	03	0.90	13	3.90	08	2.40	16	4.80
28.	त्रिपुरा	03	0.90	02	0.60	10	3.00	06	1.80	08	2.40
29.	उत्तराखंड	08	2.40	03	0.90	16	4.80	10	3.00	17	5.10
30.	उत्तर प्रदेश	153	45.90	35	10.50	134	40.20	97	29.70	163	49.80
31.	पश्चिम बंगाल	195	58.50	67	20.10	278	83.70	219	65.70	362	109.0
	कुल	**1293**	**390.30**	**396**	**118.80**	**1507**	**452.40**	**1077**	**325.5**	**1773**	**538.2**

संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यक्तियों को वरिष्ठ/कनिष्ठ अध्येतावृत्ति प्रदान करना

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021-22		2022-23		2023-24		2024-25		2025-26	
		अध्येताओं की संख्या	राशि	अध्येताओं की संख्या	राशि	अध्येताओं की संख्या	राशि	अध्येताओं की संख्या	राशि	अध्येताओं की संख्या	राशि
1.	आंध्र प्रदेश	10	13.20	12	17.40	12	11.40	08	14.40	16	16.80
2.	अरुणाचल प्रदेश	01	2.40	-	-	02	1.20	02	1.20	04	4.80
3.	असम	51	75.60	50	58.80	70	69.60	70	84.00	110	150.60
4.	बिहार	23	32.40	31	48.00	47	44.40	35	43.80	80	100.80
5.	चंडीगढ़	-	-	03	3.60	-	-	01	2.40	-	-
6.	छत्तीसगढ़	22	30.00	08	11.40	12	12.00	12	12.60	19	24.00
7.	दिल्ली	113	200.80	116	178.20	101	100.80	77	100.20	192	240.00
8.	गोवा	06	12.00	01	2.40	-	-	-	-	02	2.40
9.	गुजरात	22	37.20	18	27.00	23	21.60	14	19.20	36	45.60
10.	हरियाणा	18	33.60	27	40.20	27	30.00	23	33.00	43	63.00
11.	हिमाचल प्रदेश	02	2.40	07	7.20	04	3.00	04	5.40	06	6.00
12.	संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर	07	13.20	14	19.80	13	10.20	13	11.40	27	30.00
13.	झारखंड	23	44.40	15	17.40	24	30.60	15	24.00	24	31.20
14.	कर्नाटक	62	100.80	43	61.20	57	64.80	33	48.60	68	89.40
15.	केरल	43	68.40	62	85.20	60	54.00	54	73.80	84	96.60
16.	मध्य प्रदेश	67	104.40	62	93.00	82	76.20	59	70.20	136	183.60
17.	महाराष्ट्र	75	121.80	84	118.80	85	84.00	52	78.60	131	160.20
18.	मणिपुर	58	102.20	33	37.20	62	60.00	64	70.20	88	112.80
19.	मेघालय	01	2.40	2	1.20	-	-	01	1.20	02	2.40
20.	नागालैंड	03	4.80	02	1.80	03	3.00	03	3.60	04	6.00
21.	ओडिशा	108	171.40	89	129.60	90	93.60	83	105.60	167	225.60
22.	पुदुचेरी	04	7.20	04	7.20	02	1.80	02	3.00	02	1.20
23.	पंजाब	08	12.00	06	7.20	11	10.20	06	9.00	20	24.00
24.	राजस्थान	35	63.20	27	39.60	34	33.00	28	33.00	52	75.00
25.	तमिलनाडु	22	45.60	19	24.60	15	15.00	15	23.40	29	38.40
26.	तेलंगाना	17	27.60	22	27.00	28	28.80	21	24.60	31	49.20
27.	त्रिपुरा	06	8.40	03	3.60	06	7.80	05	6.60	14	16.80
28.	उत्तराखंड	10	14.40	13	21.00	13	12.60	10	13.20	12	12.60
29.	उत्तर प्रदेश	103	167.20	120	154.80	158	146.40	116	157.20	204	267.60
30.	पश्चिम बंगाल	81	115.00	87	118.20	100	93.00	102	116.40	130	162.60
	कुल	**1001**	**1634.00**	**980**	**1362.6**	**1141**	**1119.00**	**928**	**1189.8**	**1733**	**2239.2**

सांस्कृतिक शोध के लिए टैगोर राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति घटक (टीएनएफसीआर)

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021-22		2023-24		2024-25		2025-26	
		लाभार्थियों की संख्या	राशि	लाभार्थियों की संख्या	राशि	लाभार्थियों की संख्या	राशि	लाभार्थियों की संख्या	राशि
1.	आंध्र प्रदेश	-	-	02	13.50	01	3.00	03	8.40
2.	चंडीगढ़	01	6.00	-	-	01	3.00	-	-
3.	दिल्ली	01	2.65	-	-	03	12.60	02	1.30
4.	महाराष्ट्र	04	30.10	01	3.60	10	67.11	03	18.00
5.	तमिलनाडु	-	-	-	-	01	3.00	04	11.40
6.	तेलंगाना	01	13.50	03	18.00	03	16.80	-	-
	कुल	**07**	**52.25**	**06**	**35.10**	**19**	**105.51**	**12**	**39.10**
